उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1954)

THE UTTAR PRADESH CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1953

(U.P. Act No. V of 1954)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953[1]

[उ0प्र0 अधिनियम सं0 5 सन् 1954]

उ0प्र0 अधिनियम सं0 26,1954

उ0प्र0 अधिनियम सं0 13,1955

उ0प्र0 अधिनियम सं0 20,1955

उ0प्र0 अधिनियम सं0 24,1956

उ0प्र0 अधिनियम सं0 16,1957

उ0प्र0 अधिनियम सं0 38,1958

उ0प्र0 अधिनियम सं0 33,1961

उ0प्र0 अधिनियम सं0 8,1963

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12,1965

उ0प्र0 अधिनियम सं0 21,1966

राष्ट्रपति अधिनियम सं0 18,1968

उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 1969

उ0प्र0 अधिनियम सं0 31,1970

उ0प्र0 अधिनियम सं0 34,1974

उ0प्र0 अधिनियम सं0 30,1975

उ0प्र0 अधिनियम सं0 35,1976

उ0प्र0 अधिनियम सं0 6,1978

उ0प्र0 अधिनियम सं0 20,1982

उ0प्र0 अधिनियम सं0 24,1986

उ0प्र0 अधिनियम सं0 30,1991

उ0प्र0 अधिनियम सं0 03, 2002

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 2 अप्रैल, 1953 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 20 अप्रैल, 1953 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 4 मार्च, 1954 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 मार्च, 1954 को प्रकाशित हुआ।]

कृषि विकास (development) के निमित उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

चूँकि यह आवश्यक है कि कृषि विकास के निमित उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था की जाय;

अतएव, निम्नलिखित नियम बनाया जाता है:——

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 7 मार्च, 1953 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

(3) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और इस अधिनियम का अवशिष्ट भाग (remainder) उस दिनांक से प्रचलित होगा, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चय करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

2–यू0 पी0 कन्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट, 1939 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। **निरसन यू0पी0 एक्ट सं0 8 सन् 1939**

3–विषय या प्रसंग (subject or context) में कोई बात प्रतिकूल (repugnant) न होने पर इस अधिनियम में,– **परिभाषाएं**

(1) "सहायक चकबन्दी अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे और इसके अन्तर्गत [1][सहायक समकोण अधिकारी (Assistant Rectangulation officer) भी है।][1]

[2][(1–क) "चक" का तात्पर्य चकबन्दी होने पर खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के खण्ड से है।][2]

[2][(2) "चकबन्दी" का तात्पर्य एक कटक की जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने–अपने खाते अधिक संहत (compact) हो जायें।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये जोत के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :–

(1) वह भूमि जो धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पहले के कृषि वर्ष में बाग थी;

(2) वह भूमि जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो तथा जिसमें अत्यधिक कटाव होता हो;

(3) 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 में उल्लिखित भूमि; **उ०प्र० अधिनियम सं0 1 सन् 1951**

(4) ऐसे संहत क्षेत्र जो सामान्यतः दीर्घकाल तक जलप्लावित रहते हों;

(5) ऊसर, कल्लर तथा रोहाला के गाटों से बना कोई संहत क्षेत्र, जिसमें उक्त क्षेत्र के अन्दर की कृषि भूमि भी है;

(6) पान, गुलाब , बेला, चमेली–वर्ग (jasmine) तथा केवड़ा उपजाने के लिये प्रयुक्त भूमि; तथा

(7) ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबन्दी संचालक, चकबन्दी के प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त प्रख्यापित करें।][2]

[(2–क) "चकबन्दी क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसके लिये धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हो, किन्तु इसमें उसके वे भाग सम्मिलित न होंगे, जिन पर 1950 के जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, [3][या किसी अन्य विधि जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गई हो][3] के उपबंध लागू न हों।]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 8, 1963 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1958 की धारा 2 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 30, 1991 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

[1][(2—कक) "चकबंदी समिति" का तात्पर्य उस समिति से है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत रीति से संघटित की जाय;]

[2] [(2—ख) "चकबंदी लेखपाल" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी लेखपाल के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे तथा चकबंदी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में यू0 पी0 लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अधीन नियुक्त लेखपाल भी इसके अन्तर्गत हैं;]

[3][(3) "चकबंदी अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे [4](और इसके अन्तर्गत समकोण अधिकारी (Rectangulation officer) भी हैं);]

[5][(3—क) "चकबंदी कर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी कर्ता के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में, नियुक्त करे [6][और इसके अन्तर्गत समकोणकार (Rectangulator) तथा चकबन्दी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अधीन उक्त क्षेत्र के लिये नियुक्त, सुपरवाइजर, कानून भी हैं;]

[7] [(3—ख) "चकबन्दी योजना" का तात्पर्य किसी कटक में चकबन्दी की योजना से है;]

[8][(4) "चकबंदी संचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनयम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी संचालक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करे और अतिरिक्त चकबंदी संचालक तथा संयुक्त चकबंदी संचालक भी इसके अन्तर्गत हैं।]

[9][(4—क) "उप संचालक चकबंदी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार चकबन्दी संचालक के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में, नियुक्त करे, जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें तथा जिला उप संचालक चकबन्दी और सहायक चकबन्दी संचालक भी इसके अन्तर्गत हैं;]

(4—ख) "जिला उप—संचालक चकबन्दी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो तत्समय जिले का कलेक्टर हो;

(4—ग) "जोत" का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है, जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हों;]

[10][(5) "भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (Horticulture) तथा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन और कुक्कुट पालन भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये हों और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैः——

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1958 की धारा 2 (4) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 2 (5) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 2 (6) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 8, 1963 की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाये गये।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1963 की धारा 2 (7) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1963 की धारा 2 (4) द्वारा बढ़ाये गये।
7. उपर्युक्त की धारा 2 (5) द्वारा बढ़ाये गये।
8. उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1958 की धारा 2 (8) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 2 (9) द्वारा बढ़ाये गये।
10. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 2 (6) द्वारा प्रतिस्थापित।

(i) जोत का वह भाग, जो मकान या अन्य तत्सम रचना का स्थल हो; और

(ii) ऐसे पेड़, कुएं और अन्य समुन्नतियां जो उन गाटों में हों, जिनसे मिलकर जोत बनी हो;]

(6) ''विधिक प्रतिनिधि'' (legal representative) का वही अर्थ है, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में दिया गया है; **ऐक्ट सं0 5, 1908**

(7) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

[1][(8) किसी लेख्य के सम्बन्ध में "कटक में प्रकाशन" या कटक में प्रकाशित करना, का तात्पर्य डुग्गी पीटकर पूर्व सूचित दिनांक पर किसी कटक में उस लेख्य को पढ़कर सुनाने तथा कटक में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी रूढ़िगत ढंग से इस तथ्य की घोषणा करने से है कि किसी निश्चित स्थान तथा समय पर वह लेख्य सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के लिये चकबन्दी समिति संघटित हो गई हो, तो उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रकाशन के तथ्य की अलग–अलग सूचना भी दी जायेगी;]

[2][(8–क) "समकोण निर्माण'' का तात्पर्य चकबन्दी के समय चकों के प्रदेशन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुज तथा ऐसे चतुर्भुज के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया से है;]

[3][(9) "बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी, (चकबंदी) के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये, इस स्थिति में, नियुक्त करे तथा अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी भी इसके अन्तर्गत हैं;]

(10) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

[(11) "खातेदार" का तात्पर्य [अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर][4] से है और उसके अन्तर्गत –

(क) असामी,

(ख) सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदानगृहीता, या

(ग) सहकारी कृषि समिति जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो, जो नियत की जाये, भी है;]

[5][(11–क) "कटक" का तात्पर्य ऐसे गांव या उसके भाग से है, और यदि चकबन्दी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह विज्ञापित करे तो, ऐसे दो या अधिक गांव अथवा उनके भागों से है, जिसके या जिनके लिए चकबन्दी की एक ही योजना बनानी है;]

(12) उन शब्दों और पदों के–

(क) जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं की गई है किन्तु जो यू0पी0 लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में [प्रयुक्त अथवा][6] परिभाषित है; अथवा

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 2 (11) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 2 (7) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 2 (12) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित। (बावत भूमिधर अथवा सीरदार)
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 2 (14) द्वारा बढाया गया।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 2 (15) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ख) जो इस अधिनियम में यू0पी0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में परिभाषित नहीं है [1][किन्तु जो 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम में प्रयुक्त अथवा परिभाषित है;]

वही अर्थ होंगे, जो उनके उस ऐक्ट या उस अधिनियम में दिये गए हैं जिनमें वे [1][इस प्रकार प्रयुक्त या परिभाषित है;] और

(13) उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 और यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के संबंध में अभिदेश (References) समय–समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम (ऐक्ट) के सम्बन्ध में अभिदेश (References) समझे जायेंगे।][2]

अध्याय–2

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन

[3]**[4–चकबन्दी के सम्बन्ध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति**–(1)(क) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबन्दी क्रियाओं के अधीन लाया जाय, तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरांत किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिये, जो जिला उप संचालक, चकबन्दी द्वारा तदर्थ अधिकृत किये जायें, यह विधि संगत होगा कि वह –]

(1) उक्त क्षेत्र की किसी भूमि में, समकोण निर्माण के संबंध में या अन्यथा, प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और स्तर (Level) मालूम करे;

(2) समकोण निर्माण के संबंध में खम्भे लगाये; और

(3) चकबन्दी क्रियाओं के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करे।

(ख) जिला उप संचालक चकबंदी खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन को सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवायेगा।

(2) (क) जब राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबन्दी क्रियायें आरम्भ कराने का निश्चय करे, तो वह इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर सकती है।

[4][(ख) प्रत्येक ऐसी विज्ञप्ति गजट में और ऐसे किसी दैनिक समाचार पत्र में जिसका उक्त क्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित की जाएगी और उक्त क्षेत्र में प्रत्येक कटक में ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी जैसी समुचित समझी जाय।][4]

[5]**[4–क** (1) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में जिसके संबंध में धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहीं वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 2 (15) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 2 (15) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1958 की धारा 2(15) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1976 की धारा 30 द्वारा बढ़ाया गया।

[प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से बीस वर्ष के भीतर कोई ऐसा प्रख्यापन जारी नहीं किया जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के पश्चात ऐसा प्रख्यापन जारी कर सकेगी।[1]

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति पर इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 4 के अधीन किसी विज्ञप्ति पर लागू होते हैं।]

[2][**5–[3][धारा 4 (2) के अधीन विज्ञप्ति] का प्रभाव** –(1) सरकारी गजट के [2][धारा 4 की उपधारा (2), के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा 52 के अधीन अथवा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, जैसी भी दशा हो, विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक [धारा 4 (2) के अधीन विज्ञप्ति][3] से सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे :–

(क) जिला अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो, चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और अधिकार अभिलेख (records of rights) का रख रखाव तथा प्रत्येक गांव के नक्शे, खसरे, और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी का कार्य जिला उपसंचालक चकबंदी करेगा, जो कि उसका रख-रखाव अथवा उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो, नियत रीति से करेगा;

(ख) [4][* * *]

(ग) 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार–

(i) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असंबद्ध प्रयोजन के लिये अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा; और

(ii) [5][* * * *]

किन्तु प्रतिबंध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये कर सकता है, जिसके लिये धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।]

[6][(2) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के उक्त प्रकाशन के फलस्वरूप विज्ञप्ति से संबद्ध क्षेत्र में निम्नलिखित और परिणाम होंगे, अर्थातः–

(क) अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का तथा उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के संबंध में प्रत्येक वाद और कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके संबंध में, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो या की जानी चाहिये, प्रख्यापन या निर्णय के लिये प्रत्येक वाद या कार्यवाही का, जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1986 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1965 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1966 की धारा 2 द्वारा निकाली गई।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 5 द्वारा निकाली गई।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1996 की धारा 2 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उपशमन हो जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि कोई ऐसा आदेश सम्बद्ध पक्षों को डाक से अथवा अन्य किसी रीति से नोटिस दिये बिना और उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं दिया जायगाः

प्रतिबंध यह भी है कि उक्त क्षेत्र अथवा उसके भाग के संबंध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग में स्थित भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा आदेश रदद् हो जायेगा;

(ख) ऐसे उपशमन से उक्त वादों अथवा कार्यवाहियों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों को, इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के समुचित चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

[1] **[स्पष्टीकरण**—उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन कोई कार्यवाही या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 134 से 137 के अधीन निर्विरोध कार्यवाही को किसी भूमि में अधिकार या स्वत्व की घोषणा के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझा जायेगा।]

6—धारा 4 के अन्तर्गत प्रचारित [2][विज्ञप्ति] का रद्द करना—

(1) राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह धारा 4 के अन्तर्गत प्रचारित [2][विज्ञप्ति] को उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के सम्बन्ध में रद्द कर दे।

[3][(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी कटक के सम्बन्ध में [विज्ञप्ति रद्द की जाय][2] तो वह क्षेत्र यदि उक्त रद्द करने के दिनांक पर या उससे पहले पारित तथा भूमि अभिलेखों में संशोधन से सम्बद्ध, कोई अन्तिम आज्ञा हों, तो उसके अधीन रहते हुये, रद्द करने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अधीन न रह जायगा।]

निर्विवाद उत्तराधिकार या अन्तरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

[4][6—क (1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 4—क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा, और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात, जैसी विहित की जाय, निपटाया जायगाः

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जायगा, न ही जारी रखा जायगा या न ही निपटाया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा।][4]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1976 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझा जायगा।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1963 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3, 2002 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

7–गांव के नक्शों का पुनरीक्षण––कटक के प्रत्येक गांव अथवा उसके भाग के अभिलेखों से पुनरीक्षण को सरल बनाने के विचार से तथा यहां आगे दिये हुये उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिला उपसंचालक, चकबन्दी कटक की [1][प्रारंभिक] चकबन्दी योजना तैयार होने के पूर्व उस कटक के गांव के नक्शों का पुनरीक्षण करवायेगा।

[2][**8–खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों का अवधारण**–(1) धारा 7 के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उपसंचालक, चकबन्दी, आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुये, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय––

(1) कटक के खसरे, का, खेतवार पड़ताल के पश्चात, और चालू वार्षिक रजिस्टर का, उसके परीक्षण तथा उसकी जांच के पश्चात्, पुनरीक्षण करवायेगा।

(2) चकबन्दी समिति के परामर्श से––

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन शक्ति, और स्थिति पर, और यदि सिंचाई की कोई सुविधायें उपलब्ध हों, तो उन पर भी, विचार करने के पश्चात् करायेगा; और

(ख) गाटों के सभी पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन, उनका प्रतिकर आंकलित करने के प्रयोजनार्थ करायेगा।

(3) यदि एक से अधिक स्वामी हो, तो खण्ड (2) के उपखंड (ख) के अधीन अवधारित मूल्य में प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवायेगा; और

(4) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिये संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करायेगा।

(2) जिला उपसंचालक, चकबन्दी, कटक के अन्तर्गत आने वाले गाटों के सम्बन्ध में नियत आकार में, खसरा आकार में, खसरा चकबन्दी तैयार करवायेगा और एक ऐसा विवरण तैयार करवायेगा, जिसमें वे अशुद्धियां, [उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले] [3] तथा विवाद दिखाये जायेंगे, जो वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जांच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान में ज्ञात हुए हो।]

[4][**8–क सिद्धान्तों का विवरण तैयार करना**–

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से चकबन्दी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के सम्बन्ध में एक विवरण (जिसे यहां आगे सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है) नियत आकार में, तैयार करेगा जिसमें वे सिद्धान्त दिये हुए होंगे, जिनका अनुसरण कटक में चकबन्दी क्रियाओं के करने में किया जायगा।

(2) सिद्धान्तों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी :–

(क) उन क्षेत्रों के ब्योरे, जहां तक वे उस समय अवधारित किये जा सके, जो आबादी के प्रसार (जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिये क्षेत्र भी है) तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जाये, विनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 1963 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 6 द्वारा जोड़ी गयी।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 7 द्वारा जोड़ी गई।

(ख) वह आधार, जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि देंगे; और

(ग) उस भूमि के ब्योरे, जो 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 या 117–क के अधीन गांव सभा या स्थानिक अधिकारियों (स्थानीय प्राधिकारिकी) में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त विनिर्दिष्ट की जायेगी।]

[1][(घ) प्रत्येक कटक के लिये मानक गाटा।]

[2][(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी गाटा या गाटों का उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, चकबन्दी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा (2) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारण करेगा।]

[3]**[9–**अभिलेखों तथा विवरणों के उद्धरण जारी करना और धारा 8 तथा 8–क में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये नोटिस जारी करना– (1) धारा 8 तथा 8–क में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबंदी अधिकारी–

(क) यदि कोई लिपिक अशुद्धियां हों, तो उन्हें सही करेगा और सम्बद्ध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य ऐसे अभिलेखों के जो नियत किये जायें, सम्बद्ध उद्धरण होंगे और जिनसे निम्नलिखित बातें प्रकट हों–

(1) उनके भूमि में अधिकार और उसके सम्बन्ध में दायित्व;

(2) उसके सम्बन्ध में धारा 8 के अन्तर्गत पाई गई अशुद्धियां [उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले][4] और विवाद;

(3) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन आवश्यक होने पर उसके प्रयोजनार्थ संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश ;

(4) गाटों का मूल्यांकन; और

(5) पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिये उनका मूल्यांकन तथा यदि उनके अधिक स्वामी हों, तो उसका अभिभाजन;

(ख) चालू खसरा, और चालू वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबन्दी, धारा 8–क के अधीन तैयार किया गया सिद्धान्तों का विवरण तथा कोई अन्य अभिलेख, जो अन्य बातों के साथ–साथ खंड (क) में उल्लिखित अन्य ब्योरों दिखाने के लिये नियत किये जायें, कटक में प्रकाशित करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, या स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, नोटिस प्राप्त होने के, या उपधारा (1) के अधीन प्रकाशन के,

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1978 की धारा 9 (1) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1978 की धारा 9 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 9, द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 7 द्वारा जोड़ा गया।

21 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिनमें अभिलेखों या उनमें से लिये गये उद्धरणों के इन्दराजों की शुद्धता अथवा उनके प्रकार के सम्बन्ध में, या सिद्धांतों के विवरण के सम्बन्ध में, या विभाजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो।

[1] [**9(क)–भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण–(1)** सहायक चकबंदी अधिकारी, उस दशा में–

(i) जब भूमि पर दानों या संयुक्त जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों, तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात, और

(ii) जब कोई ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत न की गई हों, तो ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह आवश्यक समझे, अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों में समझौता कराकर जहां तक सम्भव हो, विवाद का निपटारा करेगा, अशुद्धियों को ठीक करेगा तथा विभाजन करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आज्ञा पारित करेगा :

[2][किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ सहायक चकबन्दी अधिकारी का, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे. यह समाधान हो जाय कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है, वहाँ वह मामले का निस्तारण ऐसी जाँच के आधार पर करेगा।][2]

(2) वे सभी मामले जो उपधारा (1) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निस्तारित न किये गये हों तथा गाटों के मूल्यांकन से सम्बद्ध सभी मामले और वे सभी मामले जिनका संबंध पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिये उनके मूल्यांकन तथा यदि एक से अधिक स्वामी हों तो उसको सहस्वामियों में अभिभाजित करने से हों, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चकबन्दी अधिकारी को भेजे जायेंगे, जो उनका निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करता हुआ सहायक चकबन्दी अधिकारी और उपधारा (2) के अधीन कार्य करता हुआ चकबन्दी अधिकारी तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, सक्षम न्यायालय माना जायगा।

9–ख–सिद्धान्तों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण–(1) जब धारा 9 के अधीन सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबन्दी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(2) यदि सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध, धारा 9 में नियत समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह सिद्धान्तों के विवरण में ऐसे परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 8, 1963 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधि0 सं0 30/1991 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

(4) आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहले चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी समिति को उचित पूर्व सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा।

9–ग–संयुक्त जोतों का विभाजन–(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी, धारा 9–क के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं भले ही 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 178 में या किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गई हो, और वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं।

(2) संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध खातेदार सहमत हों तो विभाजन विशिष्ट गाटों के आधार पर किया जा सकता है।]

[1][**10–पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना–**

(1) वार्षिक रजिस्टर धारा 9–क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा। तत्पश्चात् वह नियत आकार में तैयार किया जायगा तथा कटक में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित वार्षिक रजिस्टर के किसी इन्दराज का, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसरण में, परिष्कार किया जाये, तो उस आज्ञा का निर्देश और उसकी प्रवर्ती भाग का उद्धरण उक्त इन्दराज के सामने दर्ज किया जायेगा।]

[2]**10–क** [X X X]

[2]**10–ख** [X X X]

[3][**11–अपील–**(1) धारा 9–क के अधीन होने वाली कार्यवाहियों का कोई पक्ष, जो उस धारा के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, उस आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर अपना निर्णय देगा, जो कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और उस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) सक्षम न्यायालय समझा जायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में कोई विपरीत बात दी हो।]

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 2 द्वारा निकाली गयी।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][**11–क–आपत्तियों पर रोक**–चकबन्दी क्षेत्र से सम्बन्धित निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी भी ऐसे प्रश्न को, [2][जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो या जो उक्त धारा के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिये था] परन्तु उठाया नहीं गया हो, चकबन्दी कार्यवाहियों की किसी वाद की अवस्था में न तो उठाया जायेगा और न उसकी सुनवाई की जायगी–

(1) भूमि के दावे,

(2) संयुक्त जोतों का विभाजन, और

(3) यदि प्रश्न धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़ों, कुओं या अन्य समुन्नितियों के स्वामी द्वारा उठाया जाय ,तो गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन।**]**

11–ख [X X X][3]

[4][**11–ग**–धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति या धारा 11 के अधीन अपील अथवा धारा 48 के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अथवा, चकबन्दी निदेशक, जैसी भी दशा हो, यह निदेश दे सकता है कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकारी में निहित हो उसके नाम से अभिलिखित की जाय, भले ही ऐसी सरकार, गांव सभा, निकाय या प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति, अपील या पुनरीक्षण दाखिल न किया गया हो।]

[5][**12–पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध मामलों का निर्णय**–(1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध समस्त मामले, जिनके लिये वादकरण तब विद्यमान नहीं था, जब धारा 7 से 9 तक की कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी थी अथवा चल रहीं थीं, उसके उत्पन्न होने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये जा सकते हैं, किन्तु धारा 52 अथवा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् नहीं।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई मामला उठाया जाय तो उसकी सुनवाई तथा निर्णय पर धारा 7 से 11 तक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे, मानों वह उपर्युक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।]

[6] [**12–क–नई जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भाग पर मालगुजारी का वितरण**–

(1) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए–

(क) इस अधिनियम [7][* * *] के अधीन पारित आज्ञाओं के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के अधिकारों के निमित्त देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित कर सकता है, तथा

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 13 द्वारा निकाली गयी।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 34, 1974 की धारा 22 द्वारा बढ़ाई गयी।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 7 द्वारा बढ़ाई गयी।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की उपधारा 15 द्वारा निकाली गयी।

(ख) जहां आवश्यक हो वहां खातेदार की जोत के भाग के निमित्त देय मालगुजारी भी अवधारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित करने में 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।]

12–ख– [X X X][1]

12–ग– [X X X][1]

[2][**12–घ–जोतों का संयोजन–** धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित हो जाने के पूर्व दो या अधिक खातेदार किसी भी समय चकबंदी अधिकारी को समान भौमिक अधिकारों वाली अपनी जोतों को ऐसी शर्तों पर जो उनमें आपस में तय हो, संयोजित करने के निमित्त प्रार्थना–पत्र दे सकते हैं। यदि प्रस्तावित संयोजन चकबंदी के हित में हो तो चकबंदी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा।]

अध्याय–3

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

13– [x x x][3]

13–क–[x x x][3]

13–ख–[x x x][3]

13–ग–[x x x][3]

13–घ–[x x x][3]

14– [x x x][3]

15– [x x x][3]

16– [x x x][4]

16–क–[x x x][5]

16–ख–[x x x][5]

17–– [x x x][3]

18–– [x x x][3]

[6] [**19–चकबन्दी योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना–**(1) चकबन्दी योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करगी, अर्थातः–

(क) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिये गये अंशदानों के कारण की गयी कटौतियों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, खातेदार के अधिकार तथा दायित्व, जैसे कि वे धारा 10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, उसे (खातेदार की) प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रहे,

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की उपधारा 16 द्वारा निकाली गयी।
2. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 18 द्वारा निकाली गयी।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 11 द्वारा निकाली गयी।
5. उपुर्यक्त की धारा 13 द्वारा निकाली गयी।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियों (यदि कोई हों) के अधीन रहते हुए, खातेदार को प्रदिष्ट गाटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों के मूल्यांकन के बराबर हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय उस दशा के जब चकबन्दी संचालक ने तदर्थ अनुज्ञा दे दी हो, खातेदार को प्रदिष्ट जोत या जोतों के क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल का अन्तर उपरोक्त क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ग) इस अधिनियम या तद्न्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित प्रतिकर निम्नवत दिया जाय––

(1) खातेदार को–

(अ) उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिये, जो उसके द्वारा मूलतः धृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिये गये हों; और

(ब) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गयी भूमि के लिए;

(2) यथास्थिति, गांव सभा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी समुन्नति के लिये, यदि कोई हो, जो उसने उस भूमि पर की हो, जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गई हो;

(घ) सिद्धान्तों के विवरण में दिये गये सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाय;

(ङ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, उस स्थान पर जहां उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो, संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाय:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उप संचालक, चकबन्दी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को तीन से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किये जा सकते:

प्रतिबन्ध यह भी है कि की गयी कोई भी चकबन्दी केवल इसलिए अवैध न मानी जायगी कि किसी खातेदार के पास प्रदिष्ट चक तीन से अधिक हैं;

(च) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, वह गाटा प्रदिष्ट किया जाय, जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन अथवा कोई अन्य समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके निकट का ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाय, जिसका मूल्यांकन लमभग उतना ही हो, जितना कि वहां पर उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों का था; और

(छ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, समकोण निर्माण कटकों (Rectangulation units) में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किये जायें।

(2) कोई भी चकबन्दी योजना, धारा 23 के अधीन उसे अंतिम रूप दिये जाने के पूर्व धारा 19–क के उपबन्धों के अनुसार प्रारम्भिक रूप से तैयार की जायेगी।]

[1][19–क–सहायक चकबन्दी–अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना–

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति के परामर्श से, नियत आकार में, कटक के लिए प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करेगा।

(2) इस अधिनियम में या 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 20 द्वारा धारा 19–क जोड़ी गई।

होते हुए भी सहायक चकबन्दी अधिकारी के लिए, जहां उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो, यह विधिसंगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात् कोई भी भूमि जो [राज्य सरकार की हो या कोई भूमि जो],[1] 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमीदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 या 117–क के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के फलस्वरूप गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो, किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो वह भूमि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रख्यापन करने के पश्चात् ही प्रदिष्ट की जाएगी कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति विशेषों के उस भूमि में या उस पर अधिकारों को किसी अन्य–भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो और जो उक्त प्रयोजन के लिये प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में विनिर्दिष्ट हो, संक्रमित करने का प्रस्ताव है।]

[2][20–प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करना––

(1) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबंदी अधिकारी, सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें उक्त योजना से लिये गये सम्बद्ध उद्धरण दिये होंगे। तत्पश्चात प्रारम्भिक चकबन्दी योजना कटक में प्रकाशित की जायगी।

(2) धारा 11–क में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, और प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के इन्दराजों या उससे लिये गये उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करे, यथास्थिति, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(3) कोई भी प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, या ऐसा अन्य स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, जिस पर धारा 19–क की उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रख्यापन से स्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष, यह बताते हुए, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है कि उक्त स्वत्व या अधिकार किस प्रकार का है।]

[3][21–प्रारम्भिक चकबन्दी योजना पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण–

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियां तदर्थ नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायेंगी जो कि एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से सम्बद्ध फरीकों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस देने के पश्चात् उन्हें और साथ ही साथ अपने को प्राप्त आपत्तियों को भी निरस्तारित करेगा।]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 18 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो आज्ञा के दिनांक से [1][15] दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय सिवाय इस दशा में जब कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में, अन्यथा व्यवस्था हो, अन्तिम होगा।

[2] [(3) आपत्तियां निर्णीत करने से पहले चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) भी अपील निर्णीत करने से पहले ऐसा कर सकता है।

(4) यदि किसी आपत्ति के निस्तारण अथवा अपील की सुनवाई के दौरान में, यथास्थिति, चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) की यह राय हो कि, यथास्थिति, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गई या बाद में चकबन्दी अधिकारी द्वारा परिष्कृत की गई प्रारम्भिक चकबंदी योजना के कार्यान्वयन से बहुत से खातेदारों के साथ सारतः अन्याय होने की सम्भावना है, और प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण किये बिना अथवा नई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार किये बिना कटकों के खातेदारों की भूमि का ठीक और उचित प्रदेशन सम्भव नहीं है, तो उन कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायगा–

(i) चकबन्दी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे ऐसे निदेश सहित, जिन्हें चकबन्दी अधिकारी आवश्यक समझे, सहायक चकबन्दी अधिकारी को वापस कर दे; और

(ii) बन्दोस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिये यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का, पुनरीक्षण करे अथवा उसे सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी को जैसा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) उचित समझे, ऐसे निदेशों के साथ वापस कर दे, जिन्हें वह आवश्यक समझे।]

(5) [x x x][3]

(6) [x x x][3]

22- [x x x][4]

[5][23–प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि तथा प्रदेशन आज्ञाओं का जारी किया जाना–

(1) (क) यदि धारा 20 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गई हों, या

(ख) यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों, तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा 21 की उपधारा (1) से (4) तक के अधीन दी गई आज्ञाओं को दृष्टि में 'रखते हुये आवश्यक हों, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) प्रारम्भिक योजना की पुष्टि करेगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 22 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 22 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 22 (3) द्वारा निकाली गयी।
4. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा निकाली गयी।
5. उपर्युक्त की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) इस प्रकार पुष्टिकृत प्रारम्भिक चकबंदी योजना कटक में प्रकाशित की जायेगी तथा इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये अन्तिम होगी।

(3) (1) यदि धारा 19–क के अधीन किये गये प्रदेशनों को धारा 21 के अधीन परिष्कृत न किया जाय और उपधारा (1) के अधीन उनकी पुष्टि कर दी जाय, तो धारा 20 के अधीन जारी किए गये नोटिस में दिये गये उद्धरणों को सम्बद्ध खातेदारों के लिये [1][इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए] अन्तिम प्रदेशन आज्ञायें समझा जायेगा।

(2) खण्ड (1) के अधीन न आने वाले मामलों में पुनरीक्षित उद्धरण जिनमें उपधारा (1) के अधीन पुष्टिकृत प्रदेशन उल्लिखित होंगे–

(क) यदि प्रदेश का बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा परिष्कृत न किये गए हो, तो चकबन्दी अधिकारी द्वारा, और

(ख) यदि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ने प्रदर्शनों का परिष्कार किया हो, तो उसके द्वारा, जारी किये जायेंगे और वे सम्बद्ध खातेदारों के लिये [1][इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये अन्तिम प्रदेशन आज्ञायें होगी।]

अध्याय–4

योजना का लागू किया जाना

[2][**24–कब्जा और पेड़ों आदि के लिए प्रतिकर का दायित्व**–बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी वह दिनांक निश्चित करेगा, जो कटक में विज्ञापित होगा, तथा जिस दिनांक से [3][अन्तिम चकबन्दी योजना] प्रचलित होगी। उक्त दिनांक को अथवा उसके पश्चात खातेदारों को प्रदिष्ट गाटों पर कब्जा करने का अधिकार होगा।

(2) [4][अन्तिम चकबन्दी योजना] के कार्यान्वयन के अनुसरण में उनको प्रदिष्ट गाटों में स्थित पेड़, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों को पाने वाला प्रत्येक खातेदार कब्जा पाने के दिनांक से उसके भूतपूर्व खातेदार के पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिये, जो उसे प्रदिष्ट की गई हों, यहां पूर्व व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा। [4][और देगा।]

25–– [x x x][5]

26–– [x x x][5]

26–क [x x x][5]

27––नये माल अभिलेख (New revenue record)– यू०पी० ऐक्ट सं0 3. 1901

[6][(1) अन्तिम चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात्, यथासम्भव, शीघ्र, जिला उपसंचालक, चकबन्दी, धारा 7 के अधीन यथा संशोधित नक्शों, खसरा चकबन्दी तथा धारा 10

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1965 की धारा 46 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 25(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 25(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 22 द्वारा निकाली गयी।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।

के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर के इन्दराजों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तिम रूप से दे दी गई तथा जारी की गई प्रदेशन आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गांव के लिये चकबन्दी का क्षेत्र नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा तथा नक्शों–और अभिलेखों को तैयार करने में यू०पी० लैण्ड रेवेन्य ऐक्ट, 1901 के उपबन्धों का ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जायें, अनुसरण किया जायेगा।]

[1][(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार तैयार किए गये अधिकार अभिलेखों की सभी प्रविष्टियां ठीक मानी जायेगी जब तक उसके विरुद्ध प्रमाणित न कर दिया जाये।

(3) धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात कलेक्टर अपने द्वारा पहले रखे जाने वाले नक्शे, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के स्थान पर उपधारा (1) के अनुसार तैयार किये गये नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख रखेगा [2] [और ऐसा नक्शा, खसरा–तथा अधिकार अभिलेख के रखे जाने और उन्हें शुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।]

[3][28–कब्जा दिलाना––

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के प्रार्थना–पत्र पर, जिसे अन्तिम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत चक या भूमियां प्रदिष्ट की गई हों, और जहां कोई भूमि राज्य सरकार को प्रदिष्ट की गई हो, वहां राज्य सरकार के किसी प्रार्थना–पत्र के बिना उस दिनांक के, जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छः मास के भीतर, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति या राज्य सरकार को प्रविष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाएगा] [4] और ऐसा करने में उसे वे सभी अधिकार, जिनमें असमान, प्रतिरोध तथा ऐसी अन्य बातों के सम्बन्ध में अधिकार भी है, प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निर्णय न करे, कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायेगा उपयुक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रामित किया गया हो, कब्जा दिलाने के. दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने–पोषने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन–पोषण करे तथा उन्हें एकत्र करे तो वह उस व्यक्ति को जिसे चक या भूमियां प्रदिष्ट की गई हों, भूमि के प्रयोग के लिये ऐसी दर पर और ऐसी रीति में प्रतिकर देगा, जो नियत की जाय।

(2) जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति [या राज्य सरकार][5], प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गई हो, चाहे ऐसा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1965 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 34, 1974 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 10 (बावत–उस दिनांक के जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छः मास के भीतर प्रार्थी को प्रविष्टि चक या भूमि का वास्तविक कब्जा उसे दिलाएगा।) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 10 (ख) द्वारा बढाया गया।

(संशोधन) अधिनियम, 1962 के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात] उसके छः मास समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से छः मास समाप्त होने पर जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्थित, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति [या राज्य सरकार][5] के सम्बन्ध में, जब तक कब्जा पहले ही न कर लिया गया हो, यह समझा जायगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रमित किया गया समझा जाय, उपर्युक्त छः मास की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियों अथवा उनके भाग पर खड़ी फसल को पालने–पोषने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा।]

29–प्रतिकर––

[1][(1) यदि धारा 28 के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाय, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्ध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित (Determine) करेगा [2][xxx]

[3][(1–क) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, चकबन्दी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।]

(2) [X X X][4]

(3) [X X X][4]

[5][29–क–प्रतिकर की वसूली–

(1) जब कोई खातेदार, जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की वसूली होना हो , तदर्थ नियत् अवधि के भीतर प्रतिकर न दे तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति वसूली के लिये उसे उपलब्ध किसी अन्य साधन के साथ–साथ कलेक्टर को ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, इस आशय का प्रार्थना–पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि सरकार को देय मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल की जाय।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर [धारा 24 अथवा 28 के अधीन जैसी भी स्थिति हो][6], कब्जा पाने के दिनांक से 3 महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा न किया गया हो, तो ऐसी धनराशि पर, जो इस प्रकार अदा की गयी हो, 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जायेगा।]

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1955 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1956 की धारा 15(1) द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 28 द्वारा जोड़ी गई।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1956 की धारा 15(2) द्वारा निकाली गयी।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1956 की धारा 16 द्वारा जोड़ी गई।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][**29—कक—** सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिये जाने के कारण मालगुजारी में कमी——(1) यदि धारा 8—क के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अंशदान में भूमि दिये जाने के फलस्वरूप खातेदार की मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाय, तो उक्त जोत के लिये देय मालगुजारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसी अनुपात में कम कर दी जायेगी, जो अंशदान के रूप में दिये गये क्षेत्र का उक्त जोत के कुल क्षेत्रफल से हो और कम हुई मालगुजारी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में दिखाई जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई कमी से क्षुब्ध कोई खातेदार धारा 20 के अधीन प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर 1950 ई0 के जमींदारी—विनाश और भूमि—व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मालगुजारी में कमी अवधारित किए जाने के लिये सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।]

[2][**29—ख—सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदारों द्वारा दी गई भूमि के लिये प्रतिकर**—(1) (क) प्रत्येक खातेदार को, जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिया गया हो, इस प्रकार दी गई भूमि के लिये प्रतिकर दिया जायगा, जो धारा 29—कक के अधीन कम की गई मालगुजारी का———

(i) [3][अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर] की भूमि के नियम में, चार गुना और

(ii) [4][अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर] की भूमि के विषय में दो गुना, होगा।

(ख) इस प्रकार दी गई भूमि के भीतर पड़ने वाले पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के विषय में प्रतिकर की धनराशि धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) किसी खातेदार की देय प्रतिकर का भुगतान इस अधिनियम के अधीन क्रिया सम्बन्धी व्यय को, यदि कोई हो, काटने के पश्चात नकदी में किया जायेगा।

(3) जब कोई भूमि, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाय, किसी असामी के कब्जे में हो, तो यथास्थित, [5][अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर] को देय प्रतिकर में से उसका 25 प्रतिशत असामी को, उसका भूमि में उसके अधिकार, आगम तथा स्वत्व के सम्बन्ध में दिया जाय।]

[6][**29—ग—सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि का निहित होना**—(1) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि, उस दिनांक से, जब

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 29 द्वारा जोड़ी गई।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 11क (भूमिधर हेतु) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 11ख (सीरदार हेतु) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 11ख (भूमिधर अथवा सीरदार हेतु) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।

खातेदार समय–समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुये हों, [किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 लागू होती हो, गांव सभा में, और किसी अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार में][1] निहित होंगी और सदैव से निहित हुई समझी जायगी और उस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होगी, जिसके लिए वह अंतिम चकबन्दी योजना में विनिर्दिष्ट की गई थी अथवा उक्त प्रयोजन के न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होगी, जो नियत किये जांय।]

[2] [(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था, अधिनियम, 1950 की धारा 117 के उपबन्ध [3][गांव सभा में निहित] ऐसी भूमि पर लागू होंगे मानों कि ऐसी भूमि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर गांव सभा में निहित हो गई थी और मानों कि घोषणा इस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपयोगिता की शर्तों के अधीन रहते हुये की गई थी।]

[3] [X X X] [4]

[5] [30––वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे––उस दिनांक से जब हम अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट चक पर कब्जा करे या उसके सम्बन्ध में यह समझा जाये कि उसने कब्जा कर लिया है, निम्नलिखित परिणाम होंगेः––

(क) निम्नलिखित के अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व उसकी अपनी–अपनी मूल जोतों में समाप्त हो जायेंगे––

(1) वह खातेदार, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि उसने कब्जा कर लिया है, और

(2) चक में सम्मिलित गाटों का पूर्ववर्ती खातेदार, और

(ख) उस खातेदार के , जो कब्जा करे या जिसके संबंध में यह समझा जाये कि उसने कब्जा कर लिया है, अपने चक में वही अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व होंगे जो उसकी अपनी मूल जोत में थे और उसे ऐसे निजी स्रोत से, जब तक कि स्रोत विद्यमान रहे, सिंचाई की वह अन्य सुविधायें भी प्राप्त रहेंगी, जो चक में सम्मिलित गाटों के पूर्ववर्ती खातेदार को उन गाटों के सम्बन्ध में प्राप्त थीं;

(ग) उन भूमियों के सम्बन्ध में जो गांव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों और जो खातेदारों को प्रदिष्ट की गई हों, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार द्वारा 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की, यथास्थित धारा 117 या 117क के उपबन्घों के अधीन वापस ले ली गई हैं, और उनका बन्दोबस्त खातेदार के साथ कर दिया गया है;

(घ) धारा 19–क की उप धारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किये गये प्रख्यापन के बाद चक में सम्मिलित भूमि में या भूमि पर जन साधारण तथा सभी व्यक्ति

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 12(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1966 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 12(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 3 (2) द्वारा निकाली गई।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

विशेषों के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वे अन्तिम चकबन्दी योजना में इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट भूमि में सृजित हो जायेंगे; और

(ङ) उस खातेदार की, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि उसने कब्जा कर लिया है, मूल जोत पर भार, यदि कोई हो, चाहे वह पटट्ा या बन्धक के रूप में हो या अन्य प्रकार हो, उस जोत के सम्बन्ध में समाप्त हो जायेगा और वह उन जोतों पर या उनके ऐसे भाग पर हो जायेगा जो अन्तिम चकबन्दी योजना में उसे निर्दिष्ट किया जाय।]

31–[x x x][1]

[2] [**32**–खाता संक्रमित करने का अधिकार यू0पी0 खण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 और 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, खातेदारों का अपनी जोतों में अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्वों का ऐसा संक्रमण, चाहे वो विनिमय दुबारा हो या अन्य प्रकार से, जो उन्हें प्रभावित करने वाली अंतिम चकबन्दी योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्ग्रस्त हो, बंध होगा और किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को ऐसे संक्रमण पर आपत्ति करने अथवा उसमें हस्तक्षेप का अधिकार न होगा।]

[3][**33–व्यय–**(1)–राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संचालित क्रियाओं का व्यय निश्चित करेगी और कटक के खातेदारों से उसका ऐसा भाग और ऐसी रीति से वसूल करेगी, जो नियत की जाय;]

(2) यदि राज्य सरकार निर्णय करे, तो वह आज्ञा दे सकती है कि [4][उक्त क्रियाओं] के व्यय की प्रथम किस्त के रूप में कोई निर्दिष्ट धनराशि नियत रीति से अग्रिम वसूल की जाय।

(3) इस धारा के अधीन व्यय रूप में देय धनराशि मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जायगी।

34–[x x x][5]

35–[x x x][5]

35–[x x x][6]

36–क–[x x x][6]

अध्याय–5

प्रकीर्ण

37– [x x x][5]

38–साक्षियाँ के उपस्थित कराने तथा अन्य विषयों के अधिकार–

(1) निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में चकबन्दी संचालक, उप–संचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे सब

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 33 द्वारा निकाली गयी।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 35 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 35 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 36 द्वारा निकाली गयी।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 29 द्वारा निकाली गई।

सामर्थ्य (Powers), अधिकार (Rights), विशेषाधिकार (Privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (action) में निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय को प्राप्त हैं:–

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ देकर प्रतिज्ञान (affirmation) कराके या अन्य प्रकार से उनके बयान लेना और विदेशस्थ साक्षियों (witness abroad) का बयान लेने के लिये कमीशन या निवेदन–पत्र (letter of request) जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) अपमान के लिये लोगों को दण्ड देना और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसर के ही बराबर समझा जायेगा।

(2)–[x x x][1]

39–लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार– (1) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुए, चकबन्दी संचालक, उपसंचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे वे इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्त्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझें।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायेगा कि भारतीय दण्ड विधान की धारा 175 व 176 के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है।

40–चकबन्दी संचालक, उपसंचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने कार्यवाहियों का न्यायिक माना जाना––किसी चकबन्दी संचालक, उपसंचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह भारतीय दण्ड विधान की धारा 193 और 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिये न्यायिक कार्यवाही (judicial proceeding) है।

41–यू0 पी0 लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का लागू किया जाना––जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्य प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो, यू0 पी0 लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 9 तथा 10 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों पर लागू होंगे, जिनके अन्तर्गत अपील और आवेदन–पत्र भी हैं।

[2][**41–क–शपथ–पत्र–** इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में जिसके अन्तर्गत कोई अपील या पुनरीक्षण भी है, प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र उसी रीति से और उन्ही अपेक्षाओं के अनुरूप दिये जायेंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन कोई शपथ-पत्र दिया जाता है और उसका सत्यापन उक्त संहिता की धारा 193 के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खंड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 30 (2) द्वारा निकाली गई।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 31, 1970 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।

[1][**42–अधिकारी और प्राधिकारी–**(1) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों।]

(2) जिला उपसंचालक, चकबन्दी ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो समय–समय पर चकबन्दी संचालक द्वारा जारी किये जायं, चकबन्दी लेखपालों, चकबन्दी कर्ताओं तथा उपधारा (1) के अधीन जिले के लिये नियुक्त अन्य प्राधिकारियों के हल्कों का परिच्छेद कर सकता है।

42–क–लिपिक तथा गणना सम्बन्धी भूलों की शुद्धि–तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि चकबन्दी अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को यह संतोष हो जाये कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन तैयार किये गये किसी लेख्य में कोई लिपिक या गणना सम्बन्धी भूल प्रत्यक्ष हैं, तो वह या तो स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर शुद्धि कर देगा।

43–[X X X][2]

[3][**44–प्रतिनिधान**–राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले निरोधों और प्रतिबन्धों के अधीन–

(1) इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है;

(2) इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन चकबन्दी संचालक, उपसंचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी और चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों को किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रदान कर सकती है।][3]

[4][**44–क–उच्चतर प्राधिकारी द्वारा न्यूनतर प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग–** जब इस अधिनियम के अधीन अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी कि अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करना हो, तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्त्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।]

45–मापन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिये भूमि पर प्रवेश करने के अधिकारियों के अधिकार– इस अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी या उनकी आज्ञाओं के अधीन कार्य करने वाले कोई व्यक्ति या उनमें से कोई एक इस अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका मापन (Survey) कर सकता है, उस पर मापन के चिन्ह (marks) बना सकता है तथा उनकी सीमाओं का परिच्छेद (demarcation) कर सकता है और अन्य ऐसे सभी कार्य कर सकता है, जो उस कर्त्तव्य का उचित पालन करने के लिये आवश्यक हो।

[5][**45–क–धारा 5 के उल्लंघन करने का दण्ड––**(1) जो व्यक्ति धारा 5 (ग) (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह किसी समर्थ न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष पाये जाने पर, ऐसे जुर्माने का भागी होगा, जो 1,000 रु0 से अधिक न हो।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 38 द्वारा निकाली गई।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 37 द्वारा बढ़ाई गयी।
5. उपर्युक्त की धारा 39 द्वारा बढ़ाई गयी।

(2) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात होते हुए भी धारा 5 (ग) (2) के उपबन्धों के प्रतिकूल संक्रमण वैध अथवा मान्य न होगा।][1]

46–मापन [या सीमा][2] के चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहुंचाने अथवा हटाने के सम्बन्ध में दण्ड––

(1) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन [या सीमा][1] के चिन्ह को बिना विधिक अधिकार के जान बूझकर नष्ट करे या हानि पहुचाये या हटाये, तो चकबन्दी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी धनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जो इस प्रकार से नष्ट किए गये, हानि पहुंचाये गये अथवा हटाये गये प्रत्येक चिन्ह के लिये [एक हजार रूपये][3] से अधिक न होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार उक्त चिन्ह को पूर्व दशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिये आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर दोनों के लिये दी गई कोई आज्ञा भारतीय दण्ड विधान की धारा 434 के अधीन अभियोजन में बाधक न होगी।

47–अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलें आदि––इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण (revision) के निमित्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया जा सकेगा, जब तक कि इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गई हो।

[4]**[48–पुनरीक्षण और अभिदेश–** (1) चकबन्दी संचालक, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गई किसी कार्यवाही का अभिलेख, उस कार्यवाही की नियमतता के विषय में या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गई [5][अन्तर्वती आज्ञा से भिन्न] किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है, जो वह उचित समझे।

(2) चकबन्दी संचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा (3) के अधीन अभिदेश किये जाने पर भी किया जा सकता है।

(3) चकबन्दी संचालक के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी मामले को अभिदिष्ट कर सकता है।

[6]**[स्पष्टीकरण [7][(1)–** इस धारा के प्रयोजनों के लिये बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), संचालक अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता और चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी संचालक के अधीन होंगे।]

[2]**[स्पष्टीकरण–(2)** इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "अन्तर्वर्ती आज्ञा" का तात्पर्य किसी मामले या कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसे आदेश से है जो उस मामले या कार्यवाही में उत्पन्न

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 39 द्वारा बढ़ाई गई।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 13 द्वारा जोड़ा गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 13(ख) द्वारा जोड़ा गया एवं (पचास रुपये हेतु) प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 20 (1) द्वारा बढ़ाये गये।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 25 द्वारा बढ़ाया गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 20 (2) द्वारा वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित किया गया और नया स्पष्टीकरण (2) बढ़ाया गया।

होने वाले या उसके संपार्श्विक किसी विषय को निर्णीत करते हुए भी उस मामले या कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण करने का प्रभाव नहीं रखता है।]

[स्पष्टीकरण–(3) इस धारा के अधीन किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के परीक्षण करने के अधिकार में कोई निष्कर्ष चाहे वह किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य का हो या विधि का हो, सम्मिलित है और इसमें किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्विवेचन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।][1]

[2] **[48 क––निष्क्रान्त सम्पत्ति के संबंध में विशेष उपबन्ध–**(1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी–]

(क) एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकई प्रापर्टी एक्ट, 1950 के उपबन्धों के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के कस्टोडियन (Custodian of Evacuee Property) जिन्हें यहां पर आगे चलकर इस धारा में कस्टोडियन कहा गया है, में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित किसी भूमि के आश्रय के सम्बन्ध में उसके निर्णय पर इस अधिनियम के अधीन कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी न तो आक्षेप करेगा और न उसे परिवर्तित अथवा व्यतिकांत (call in guesstion very of reverse) करेगा, और

(ख) इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ न होगा, जिससे कस्टोडियन किसी भूमि के आगम के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही को जो उसके समक्ष इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रचलित होने के दिनांक पर, जिसके अधीन भूमि के आगम के सम्बद्ध कार्यवाहियां रूकनी चाहिये, विचाराधीन हो, रोक सके अथवा जिससे चकबन्दी अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसे अधिकार प्राप्त हों जिसके अनुसार उक्त दिनांक पर कस्टोडियन के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही में अन्तर्गत (involved) भूमि के संबंध में आगम के प्रश्न को अवधारण के लिये अभिदिष्ट करे।

(2) जब चकबन्दी क्रियाओं के फलस्वरूप किसी गांव में––

(क) एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकई प्रापर्टी एक्ट, 1950 के उपबन्धों के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति (Evacuee Property) के रूप में कस्टोडियन में निहित भूमियां उन जोतों में सम्मिलित कर दी जांय जो कस्टोडियन में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित न हों, तो ऐसी भूमि चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से कस्टोडियन में इस प्रकार निहित न रहेगी और तत्पश्चात उक्त एक्ट के उपबन्ध उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त न रहेंगे, और

(ख) ऐसी भूमियों के बदले में उसी प्रकार भूमियां इन जोतों में सम्मिलित कर दी जायेगी, जो कस्टोडियन में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित हो और ऐसी भूमियां चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से उपर्युक्त एक्ट के तात्पर्य के अन्तर्गत प्रख्यापित निष्क्रांत सम्पत्ति समक्षी जायेंगी और कस्टोडियन में निहित हो जायेंगी और तत्पश्चात उक्त एक्ट के उपबन्ध यथासम्भव उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त होंगे।]

[3] **[48––ख––कब्जे का विनिमय––**(1) जब खातेदारों के बीच में जिनके अन्तर्गत मंडल की भूमि प्रबन्धक समिति भी है, धारा 48 के अधीन पारित आज्ञाओं के

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 2002 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1954 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 41 द्वारा बढ़ायी गयी।

[1][X X X] परिणामस्वरूप कब्जे का परिवर्तन आवश्यक हो जाय तो ऐसी आज्ञाओं के अनुसार उनके द्वारा आपस में कब्जे का विनिमय विधिपूर्ण होगा।

(2) जब पारस्परिक समझौते द्वारा कब्जे का परिवर्तन न हो सके, तब सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे खातेदारों तथा भूमि प्रबन्धक समिति की धारा 28 के उपबन्धों के अनुसार कब्जा दिलायेगा।]

[2][**49–दीवानी तथा माल न्यायालयों के अधिक्षेत्र पर रोक–** तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो उस क्षेत्र में पड़ती हो, जिसके लिये [3][धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन] [4][विज्ञप्ति] जारी कर दी गई हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय, को चकबन्दी कार्यवाहियों से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी, अथवा की जानी चाहिये थी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और कोई दीवानी या माल न्यायालय उक्त भूमि में अधिकारों के सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिए थी, किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा।]

[5][किन्तु प्रतिबन्घ यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी गांव सभा को कब्जा दिया गया हो, या दिया गया समझा जाय, उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि –व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122–ख के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने से असिस्टेंट कलेक्टर को प्रवारित नहीं करेगी।]

[6][**49–**क–इस अधिनियम और तद्धीन बनी नियमावली के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के लिये सुरक्षा–कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये प्रस्तुत न की जा सकेगी, जो उक्त अधिनियम या तद्न्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उसने सद्भावना से किया हो या उसको करना अभिप्रेत हो।]

[7][**50–**न्याय शुल्क से मुक्ति–इस अधिनियम के उपबन्घों के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में दिये गये किसी प्रार्थना–पत्र पर या वकालतनामे के अतिरिक्त किसी लेख्य पर, जो दाखिल किया जाय, कोई न्याय शुल्क देय न होगा।]

[8][**51–संक्रमण को निष्पन्न करने के लिये कोई कारण आवश्यक नहीं है–**तत्समय प्रचलित किसी वन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अन्तिम चकबन्दी योजना को कार्यान्वित करने में जोतों का जो संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिये न तो किसी लिखितकरण की आवश्यकता होगी और न ऐसा कारण निष्पादित किये जाने पर उसके रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी।]

52–चकबन्दी क्रियाओं की समाप्ति–

(1) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नये नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात, यथाशीघ्र, राज्य सरकार गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 40 द्वारा निकाले गये।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1965 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 21 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 43 द्वारा बढ़ायी गयी।
7. उपर्युक्त की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

कटक में चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गई हैं और तदुपरान्त उक्त कटक के गांव चकबन्दी क्रियाओं के अधीन नहीं रहेगें।

[(1—क) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति किसी ऐसे दैनिक समाचार पत्र में भी जिसका क्षेत्र में परिचलन हो और ऐसी अन्य रीति से जैसी उचित समझी जाय, प्रकाशित की जायगी।][1]

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने से, इस अधिनियम के अधीन क्रियाओं के व्यय को निश्चित करने, बांटने और वसूल करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।][2]

[3][(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी,"भारत का संविधान" के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गई लेख याचिकाओं के मामलों में या उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने का दिनांक को इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन मामलों या कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञायें ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो नियत किये जाये कार्यान्वित की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये चकबन्दी क्रियाओं के विषय में यह समझा जायगा कि वे समाप्त नहीं हुई हैं।]

[4][(3) जहां धारा 23 के अधीन चकबन्दी योजना के अन्तिम हो जाने के पूर्व किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा का निरसन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 198 की उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा किया जाता है और यह आदेश अग्रिम हो जाता हैं वहां इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी ऐसे आदेश को निम्नलिखित रीति से ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो नियत किये जाय, कार्यान्वित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये चकबन्दी क्रिया को समाप्त नहीं समझा जायगा, अर्थात—

(क) ऐसे प्रदेशन या पट्टे की विषयगत भूमि के मूल्यांकन को नियत रीति से पहले सुनिश्चित किया जायेगा;

(ख) चकबन्दी कार्य में सम्बद्ध खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खण्ड (क) में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जायगा।

(ग) चकबन्दी कार्यवाही के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार होगा।]

[5][52—क—चक मार्गों तथा चक गूलों के लिये विशेष व्यवस्था—(1) किसी ऐसे कटक की दशा में जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम 1970 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, धारा 52 में दी गई किसी प्रतिकूल बात के हुये भी, कलेक्टर, यदि उसकी यह राय हो कि चक मार्गों या चक गूलों की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा अपर्याप्त व्यवस्था है, तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही कर सकता है, और यदि उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक से छः महीने के भीतर कुल खातेदारों में से कम दस प्रतिशत द्वारा इस आशय का अभ्यावदेन दिया जाय, तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करेगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 43 द्वारा बढ़ायी गयी।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1991 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 43 द्वारा बढ़ायी गयी।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1976 की धारा 32 द्वारा बढ़ायी गयी।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 31, 1970 की धारा 3 द्वारा जोड़ी गयी।

(2) कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के प्रस्ताव की और उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन की भी, यदि कोई हो, सूचना कटक में डुग्गी पिटवाकर और ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, दिलवायेगा, और किसी चकबन्दी अधिकारी को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा खातेदारों की या उनमें से ऐसे व्यक्तियों की, जो अभ्यावेदन में सम्मिलित न हों, इच्छाओं को सुनिश्चित करने के निमित्त युक्ति युक्त कदम उठाने, और मामले में ऐसी अन्य जांच करने, जिसे वह उचित समझे, का निर्देश देगा।]

(3) ऐसा चकबन्दी अधिकारी कटक में चक मार्गों या चक गूलों की व्यवस्था करने या, जैसी भी दशा हो, और अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के सम्बन्ध में कलेक्टर को रिपोर्ट देगा और कलेक्टर उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, योजना का एक प्रारूप तैयार करवायेगा।

(4) तदुपरान्त सहायक चकबन्दी अधिकारी कटक के उतने खातेदारों की, जितना वह व्यवहारगम्य समझे, इच्छा को अनौपचारिक रूप से सुनिश्चित करने के पश्चात नियत प्रपत्र में योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा जिसमें चकमार्गों या चकगूलों की व्यवस्था अथवा अतिरिक्त व्यवस्था, जैसी आवश्यकता हो, करने का प्रस्ताव करेगा। योजना का प्रारूप तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी निम्मिलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा, अर्थात–––

(क) जहां तक व्यवहारगम्य हो, चकमार्गों और चकगूलों की व्यवस्था प्रथमतः गांव सभा में निहित भूमि का उपयोग करके और द्वितीयतः उन खातेदारों द्वारा धृत भूमि में से जिनके चक प्रस्तावित चकमार्गों या चकगूलों से सम्बन्धित हो, और अन्ततः किसी अन्य भूमि से की जानी चाहिये।

(ख) चकों का पुनर्व्यवस्थापन केवल उस सीमा तक, जहां तक वह चकमार्गों तथा चकगूलों की व्यवस्था करने के लिये वास्तविक रूप में आवश्यक हो और पहले से ही पुष्टिकृत चकबन्दी योजना में कम से कम व्यतिक्रम किये बिना किया जाना चाहिये।

(5) उपधारा (4) के अधीन तैयार की गई योजना का प्रारूप कटक में नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

(6) योजना के प्रारूप से प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी के पास लिखित रूप में आपत्ति कर सकता है।

(7) (क) चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात सभी आपत्तियों की निस्तारण करेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) खण्ड (क) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय देने के पूर्व चकबन्दी अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन पर निर्णय देने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात विवादग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर सकता है।

(घ) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिये उन कारणों से जो अभिलिखित किये

जायेंगे, उपधारा (4) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार योजना के प्रारूप में परिष्कार करना और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिये उसे चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, प्रतिप्रेषित करना वैध होगा।

(8) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)

(क) यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय, या

(ख) यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जाये तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात जो उपधारा (7) के अधीन आपत्तियां तथा अपीलों पर दी गई आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुये आवश्यक हो, योजना का पुष्टि कर देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन पुष्टीकृत योजना कटक में नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी तदुपरान्त धारा 23 के अधीन अन्तिम रूप से बनी चकबन्दी योजना और दी गई प्रदेशन आज्ञाओं योजना में इंगित सीमा तक संशोधित हो जायेगी और तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा नई प्रदेशन आज्ञायें जारी की जायेंगी।

(10) अध्याय 4 के उपबन्ध उक्त योजना के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के अन्तिम चकबन्दी योजना के संबंध में लागू होते हैं और अध्याय 4 को लागू किये जाने के प्रयोजनों के लिये, इस धारा के अधीन व्यवस्थित चक मार्गों और चकगूलों के लिये दी गई भूमि धारा 8—क के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दी गई भूमि समझी जायगी।

[53—खातेदारों के मध्य चकों का पारस्परिक विनियम—बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिये यह वैध होगा कि वह चकबन्दी क्रियाओं के किसी स्तर पर, किन्तु धारा 27 के अधीन अन्तिम अभिलेख तैयार हो जाने के पूर्व, खातेदारों के मध्य [1][समझौते द्वारा] चकों या उनके किसी भाग के पारस्परिक विनिमय की अनुमति दे यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त विनिमय से चकों के आकार में सुधार हो जायेगा अथवा उनकी संख्या में कमी हो जायेगी और उन लोगों में सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक सन्तोष उत्पन्न होगा।

53—क—खातेदारों द्वारा तैयार की गई (चकबन्दी योजना)[2] को मान्यता— (1) उपसंचालक, चकबन्दी किसी गांव के संबंध में चाहे वह चकबन्दी क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, गांव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई किसी चकबन्दी योजना को मान्यता दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त योजना इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उसमें सम्बद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है और वह सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति अन्यथा न्यायपूर्ण है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त चकबन्दी योजना, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार तथा पुष्ट की गई समझी जायेगी, और उसके अधीन लागू की जायेगी।

53—ख—कालावधि— [3][परिसीमा अधिनियम, 1963] की धारा 5 के उपबन्ध इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षणों, तथा अन्य कार्यवाहियों पर लागू होंगे।][4]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 44 द्वारा जोड़ा गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 46 द्वारा बढ़ाई गयी।

54–नियम बनाने का अधिकार––(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये [गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती हो][1]

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:–

(क) [2][धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन] [3][विज्ञप्ति] का आकार,

(ख) धारा 3 के खण्ड (2–कक) के अधीन चकबन्दी समिति का संगठन, चकबन्दी समिति के सदस्यों के कार्यकाल का अवधारण तथा उसमें रिक्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही:

(ग) धारा 5 के अधीन स्थगित वादों और कार्यवाहियों के निस्तारण की प्रक्रिया,

[4][(गग)––चकबन्दी क्षेत्र में जोत के संक्रमण के लिये धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देने के लिये बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्ते;]

[5][(घ) पुनरीक्षण, जिसके अन्तर्गत अधिकारों का प्राख्यापन, संयुक्त जोतों का विभाजन, गाटों का मूल्यांकन, कुओं, पेड़ों तथा अन्य समुन्नतियों के प्रतिकर का अवधारण तथा अभिभाजन भी है, से सम्बद्ध प्रक्रिया और सिद्धान्तों के विवरण की तैयारी तथा प्रकाशन];

(ङ) नये खातों पर मालगुजारी का अवधारण और धारा 12क के अधीन उसका पुरानी जोतों के भागों पर वितरण;

[4][(च) धारा 12घ के अधीन जोतों के संयोजन की प्रक्रिया];

(छ) धारा 19–क, 21 और 23 के अधीन चकबन्दी योजना तैयार करने, उसे प्रकाशित करने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया और रीति;

(ज) धारा 23 के अधीन प्रदेशन आज्ञायें जारी करने की प्रक्रिया और रीति]

(झ) एतदर्थ निर्दिष्ट प्रयोजनों पर चकबन्दी समिति के विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया और रीति;

(ञ) उस सार्वजनिक प्रयोजन का अवधारण, जिसके निमित्त क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जायें और रीति जिसमें यह किया जाये;

(ट) सार्वजनिक भूमि से उस भूमि में जो सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट की गई हो, अधिकारों के संक्रमण से सम्बद्ध विषय;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1975 की धारा 47 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 46 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1965 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1976 की धारा 33 द्वारा जोड़ा गया और सदैव से जोड़ा गया समझा जायगा।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ठ) धारा 24 और 28 के अधीन कब्जा लेने की प्रक्रिया;

(ड) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दिये जाने वाले या उसके वसूल किये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण की प्रक्रिया और रीति;

(ढ़) चकबन्दी व्यय के, जिसके अन्तर्गत वह अनुपात भी है, जिसके अनुसार उसका वितरण किया जा सकता है, वितरण करने के सम्बन्ध में विचार की जाने वाली परिस्थितियां और विषय;

(ण) इस अधिनियम के अधीन किसी नोटिस या किसी लेख्य के तामील किये जाने की रीति से सम्बद्ध विषय;

(त) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना पत्र और अपीलें भी है, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(थ) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रत्येक अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(द) उन मामलों में, जिनमें यहां पर तत्सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना–पत्र और अपीलों के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि;

(ध) किसी अधिकारी को निश्चित काल सीमाओं के बढ़ाने का अधिकार देते हुये अथवा न देते हुये काल संबंधी सीमाओं का निश्चय, जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के निमित्त कार्य अवश्य किये जाने चाहिये;

(न) किसी प्राधिकारी या अधिकारी के पास से दूसरे को कार्यवाहियों का संक्रमण, और

(प) अन्य कोई विषय, जो नियत हो या नियत किया जाय।

[(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में, प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुय, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बन्ध में नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।][1]

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1975 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित।